भोपाल, दिनांक 24 मई 2024

क्रमांक– 1238 /मप्रविनिआ/2024. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 की उप–धारा (1) और धारा 181 की उप–धारा (2) की धारा (फ) एवं (ब) सहपठित धारा (47) के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2009 (आरजी–17, वर्ष 2009) जिन्हें एतद् पश्चात् **"मूल विनियम"** निर्दिष्ट किया गया है, में निमनुसार संशोधन करता है, अर्थात् :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2009 में तृतीय संशोधन {एआरजी–17(i)(iii), वर्ष 2024}

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :**

1.1 यह संशोधन **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण–प्रथम) (तृतीय संशोधन), विनियम, 2009 {एआरजी–17(i)(iii), वर्ष 2024}"** कहलाएगा।

1.2 यह संशोधन सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होगा।

1.3 यह संशोधन मध्यप्रदेश राज्य के "राजपत्र" में इसकी प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होगा।

2. **मूल विनियमों के विनियम 1 में संशोधन :**

मूल विनियमों के विनियम 1.22 के स्थान पर निम्न नवीन विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"1.22 उपभोक्ता से स्वीकार की गई प्रतिभूति निक्षेप नगद राशि पर, अनुज्ञप्तिधारी बैंक दर पर (संबंधित वित्तीय वर्ष की एक अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रचलित दर पर) ब्याज देगा। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रचलित बैंक दर की जानकारी सुनिश्चित करने तथा बिलिंग क्रियाविधि के माध्यम से उपभोक्ताओं को सूचित करने का उत्तरदायित्व अनुज्ञप्तिधारी का होगा :

परन्तु यह कि नगद प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज का भुगतान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नगद प्रतिभूति निक्षेप प्राप्ति की तिथि से इसे धारित रखे जाने की तिथि तक देय होगा :

परन्तु आगे यह और कि नगद प्रतिभूति निक्षेप की प्राप्ति की तिथि से प्रथम बिलिंग माह के चालू होने की तिथि तक की अवधि के ब्याज का भुगतान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को जारी किये जाने वाले प्रथम देयक में आकलित (क्रेडिट)किया जाएगा।"

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्ता पाण्डा, सचिव.